रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2155] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941
No. 2155] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2019

का.आ. 2377अ).—दिनांक 17 अगस्त, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 2726(अ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय, नेशनल स्किल डवलपमेंट कोर्पोरेशन (पैन: AACCN8680L) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामत:-

(क) सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त की गई राशि;

(ख) कौशल विकास (स्किल डवलपमेंट) अन्य सरकार अनुदानों हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त की गई राशि;

(ग) कौशल विकास (स्किल डवलपमेंट) के लिए संगठन में निवेश में दीर्घावधि अथवा अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ;

(घ) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित अथवा वित्त पोषित कौशल विकास उद्यम(वेंचर) से लाभांश तथा रायल्टी;

(ङ) प्रत्यायन शुल्क (एक्रीडिटेशन), पंजीकरण शुल्क, प्रशिक्षण सहभागियों से शुल्क तथा इसके कौशल विकास कार्यकलापों से अन्य लागत वसूली से आय;

(च) योजना प्रबंधन से प्रशासनिक तथा संग्रहण शुल्क;

(छ) दक्षता देने , प्रशिक्षण देने तथा रोजगार योग्यता हेतु भारत के बाहर संस्थानों से आय;

(ज) कौशल विकास के लिए संस्थानों को ऋणों पर ब्याज;

(झ) विविध आय जैसे स्क्रेप की बिक्री, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, आरटीआई आवेदन शुल्क, बैंक गारंटी की जब्ती, आयकर प्रतिदाय पर ब्याज, रिटन बैक अधिक प्रावधान; तथा

(ञ) उपरोक्त (क) से (झ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि नेशनल स्किल डवलपमेंट कोर्पोरेशन -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2017-18,2018-19, 2019-20 के लिए लागू हो गई मानी जाएगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 51 /2019, फा. सं. 196/39/2015-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जा रहा है।